मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकरण एवं आवंटन हेतु सामान्य नियम व शर्ते

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015

प्रस्तावना :-

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत राजस्थान के निम्बाहेड़ा शहरी क्षेत्रमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए बहुमंजिला आवास निर्माण एवं आवंटन के लिए नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित नियम एवं उपनियमों के तहत इन संस्थाओं की योजनाओं में/स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध भूमि पर विकासकर्ताओं की टाउनशिप/ग्रुप हाउसिंग योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान लागू किये गये है।

- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत निम्बाहेड़ा शहर के लिए स्थानीय निकाय के द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए जी+3 मंजिला/बहुमंजिला आवासो का निर्माण उक्त योजना के तहत किया जायेगा।

- स्थानीय निकाय की भूमि पर विकासकर्ताओं द्वारा बनायें जाने वाले जी+3 मंजिला/बहुमंजिला आवास राज्य सरकार के नगरीय विकास व आवासन विभाग के अधीन सम्बन्धित प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित कर निर्धारित कीमत पर सफल आवंटियों को सुपुर्द किये जायेंगे।

राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के लिए राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम (RUDSICO) को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। योजना की क्रियान्विति हेतु स्थानीय निकायों के द्वारा भूमि उपलब्ध कराना, विकासकर्ता का चयन, पंजीकरण, आवंटन सम्बन्धी कार्य किया जावेगा तथा आवंटियों को वित्तीय संस्था/बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने में सहयोग राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम एवं सम्बन्धित स्थानीय निकाय नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा किया जावेगा।

<u>आवेदन हेतु पात्रता एवं सामान्य जानकारी</u> :-

1.
- आवेदक को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ राजस्थान राज्य का मूल निवासी का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवंटन के पश्चात् आवेदक को सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा पंजीकरण निरस्त करने योग्य होगा।
- भारत के किसी भी राज्य में निवास करने वाला भारतीय नागरिक जो इस शहर में कम से कम एक वर्ष से रह रहा हो वह भी आवेदन के लिए पात्र होगा परन्तु प्राथमिकता राजस्थान के मूल निवासी को ही दी जायेगी। आवेदक को इस आशय का प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नोट :- राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदकों को आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्रस्तावित आवासो के अनुपात में राजस्थान राज्य के मूल निवासी आवेदक पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त नही होने के स्थिति में ही भारत के अन्य राज्यों में निवास करने वाले ऐसे आवेदकों को आवंटन हेतु सम्मिलित किया जायेगा जो कम से कम एक वर्ष से इस शहर/कस्बे में रह रहा हो। **नगरपालिका निम्बाहेड़ा क्षेत्र में निवासरत् को प्राथमिकता दी जायेगी।** आवेदक को इस आशय के प्रमाण हेतु राशनकार्ड की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

2. आवेदक की आयु 18 वर्ष या अधिक हो।
3. आवास आवंटन के लिए आवेदक को राजस्थान के किसी भी शहरी क्षेत्र में अथवा पत्नि/पति एवं परिवार के किसी भी आश्रित, किसी सदस्य (अविवाहित सहित) का आंशिक अथवा पूर्ण अधिकृत लीज या फ्री होल्ड आधार पर आवास भूखण्ड नही होना चाहिए।
4. आय वर्ग निर्धारण के लिए वित्तिय वर्ष 2015–16 की प्रमाणित वार्षिक सकल आय (पति/पत्नि एवं आश्रित की आय) पर निर्भर होगी। आवेदक के आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक (पति/पत्नि एवं आश्रित) की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जायेगी। कुल आय में निम्नलिखित स्त्रोतो से हुई आय सम्मिलित होगी।
   - स्वयं के लिए :–
     i. वेतन/विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति एवं अन्य देय भत्ते।
     ii. गृह/सम्पत्ति व व्यापार से आय।
     iii. विनियोग से लाभ/ब्याज
     iv. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजन हेतु आय के रूप में सम्मिलित हो।
   - उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक सम्बंध में पति/पत्नि की आय।
   - उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक सम्बंध में आश्रितो की आय।

5. वार्षिक आय (पति/पत्नि/आश्रितो की आय) के आधार पर आवंटन हेतु पंजीकरण

क्र. स.	आर्य वर्ग	सकल वार्षिक आय रूपयें में	आवेदन के समय जमा करवाये जाने वाला पंजीकरण राशि	फ्लैट का औसत निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट)	अनुमानित लागत रूपयों में
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग EWS	300000 तक	2000	325	390000
2.	अल्प आय वर्ग LIG	300001 से 600000 तक	3500	500	600000

6. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा करायी गयी पंजीकरण राशि प्रशासनिक शुल्क के रूप में उपयोग ली जावेगी। अतः यह राशि ना तो लागत में समायोजित की जायेगी और ना ही लौटायी जावेगी।

7. वेतनभोगी आवेदकों को अपने न्योक्ता का प्रमाणित आय प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। गैर वेतनभोगी (स्व–रोजगार) आवेदकों को तहसीलदार/म्युनिसिपल ऑफिसर/एसडीओं अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा स्व–सत्यापित आय एवं निवास प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र द्वारा जो नोटरी पब्लिक से सत्यापित हो प्रस्तुत करना होगा।

8. एक आवेदक उपर्युक्त में से एक ही वर्ग में (आय वर्ग के अनुसार) एक ही आवास के लिए आवेदन कर सकता है।

9. उक्त योजना के लिए आवेदन पत्र के साथ पंजीकरण राशि के लिए अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका, निम्बाहेड़ा के नाम डी.डी. के रूप में निर्धारित बैंक में जमा करवानी होगी।

10. मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं में आवासों हेतु प्रस्तावित स्थान एवं अनुमानित आवासो की संख्या।

क्र.स.	शहर/योजना का नाम	EWS	LIG	योग
1.	निम्बाहेड़ा/मुख्यमंत्री जन आवास योजना	752	480	1232

नोटः–आवासो की संख्या भूमि की उपलब्धता के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।

11. उपरोक्त आवासों में निर्मित किये जाने वाले सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल एवं अन्य सुविधाओं का विवरण निम्न प्रकार है। :–

क्र. स.	आय वर्ग	सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल वर्गफीट (लगभग)	कमरे	किचन	शौचालय	स्नानागार	विशेष विवरण
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर	325	2	1	1	1	बालकोनी
2.	अल्प आय वर्ग	500	2	1	1	1	बालकोनी

नोटः–निर्मित क्षैत्रफल में प्लिन्थ, एरिया, कोमन सुविधा यथा लॉबी आदि का समानुपातिक क्षैत्रफल एवं बालकनी का 50 प्रतिशत क्षैत्रफल सम्मिलित है।

12. आवासों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नलिखित श्रेणी/वर्ग के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत अनुसार होगा :–

क्र. स.	आरक्षित वर्ग	आरक्षित कोटा (प्रतिशत में)
1.	अनुसूचित जाति	9
2.	अनुसूचित जन जाति	8
3.	भूतपूर्व सैनिक व सैनिको की विधवायें, सीमा सुरक्षा बल के भूतपूर्व जवान एवं उनकी विधवायें, सैनिक कार्यवाही के दौरान विकलांग हुए सैनिक अथवा वीरगति को प्राप्त हुए सैनिको की विधवाओं को सम्मिलित करते हुए।	10
4.	शारीरिक रूप से विकलांग	2
5.	अधिस्वीकृति पत्रकार	2
6.	राज्य सरकार, अर्द्ध सरकारी राज्य के अधीनस्थ/स्थानीय निकायों के कर्मचारी (कुल आवासों की संख्या का)	18
7.	अनारक्षित श्रेणी	51

राज्य सरकार/उपक्रमों/राजकीय कम्पनियों की नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो कि वर्तमान में प्रोबेशन पर है वे भी इस हेतु पात्र होंगे। बशर्ते आवेदक स्वयं की तथा पति–पत्नि एवं आश्रित बच्चों की आय के आधार पर निर्धारित श्रेणी/श्रेणीयों के अनुसार हो।

- किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नही होने पर उस वर्ग के शेष फ्लौटों का आवंटन अनारक्षित श्रेणी के उसी आर्य वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।
- जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायों व राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीनस्थ कार्यरत है उन्हीं को राज्य कर्मचारी के वर्ग में माना जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का

प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। केन्द्रिय सरकार एवं केन्द्रिय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारियेां के लिए आरक्षित फ्लैटों के लिये आवेदन हेतु पात्र नही होंगे।

- अनु.जाति/अनु.जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है, जो राजस्थान की जनगणना में अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। ऐसे व्यक्तियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकारी अधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विकलांग व्यक्ति वे है, जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है, तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
- अधिस्वीकृत पत्रकार वे है, जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई हों।
- सैनिक का अर्थ बल, जल, वायुसेना (BSF, CISF एवं CRPF) में कार्यरत अथवा इन सेंवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके परिवार में पति, पत्नि/पुत्र व उस पर अश्रितो से है।
- आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उस परिवार से केवल मात्र एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है।
- सैनिक कोटे में आरक्षित, फ्लैटों हेतु सैनिक स्वयं आवेदक होने की स्थिति में उसके परिवार का कोई सदस्य उक्त आरक्षित कोटे हेतु आवेदन का पात्र नही होगा।
- सैनिक को पूर्व में किसी यू.आई.टी./जविप्राप की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई फ्लैट आवंटन होने की स्थिति में वह/परिवार का सदस्य फ्लैट आवंटन हेतु आवेदन के पात्र नही होंगे।
- मृतक सैनिक के परिवार से केवल परिवार के एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है। एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे
- सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लैट हेतु आवेदक को परिशिष्ठ प्रारूप अनुसार 10/– रू. के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है) के लिये आरक्षित फ्लैटो का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये श्रेणी सम्बन्धित प्रमाण–पत्र लगाया जाना आवश्यक है।

  A. उन सैनिको की विधवायें एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (BSF, CISF एवं CRPF) में (उन कार्मिको की विधवाऐ एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो।)
  B. विकलांग सैनिक (BSF, CISF एवं CRPF)।
  C. अन्य सैनिक (BSF, CISF एवं CRPF)।

D. विकलांग (निःशक्तजनों) के लिए शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के तहत 2 आरक्षण निर्धारित किया हुआ है।

13. आवेदक द्वारा आवंटन पत्र में दर्शाई गई मांग राशि निर्धारित समय पर स्थानीय निकाय/नगर पालिका द्वारा निर्देशित बैंक में खोले गये एस्क्रो खाते में जमा करानी होगी।

आवंटन हेतु निबन्धन एवं शर्ते :-

14. योजना के सफल आवेदकों द्वारा आवास की लागत का भुगतान तालिका क्रमांक 20 के अनुसार निर्धारित समय पर जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

15. आवेदकों की वरीयता एवं आवंटन सूची नगर पालिका निम्बाहेड़ा के द्वारा जारी की जावेगी।

16. नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा सूची अनुसार सफल आवेदकों को अस्थायी आवंटन पत्र/आरक्षण पत्र जारी किये जाकर सम्बन्धित बैंक में राशि जमा करवाने के लिए चालान फार्म उपलब्ध कराये जायेंगे।

17. एक परिवार (पति/पत्नि) में से एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकता है। पति/पत्नि दोनो के नाम से आवेदन करने पर दोनो आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे तथा निरस्त आवेदन पत्रों की पंजीकरण राशि/प्रशासनिक शुल्क भी देय नही होगा।

18. मुख्यमंत्री जन आवास योजना के सम्बन्ध में जानकारी के लिए नगरपालिका निम्बाहेड़ा कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। दूरभाष नम्बर **01477-220042, 220435**।

19. मुख्यमंत्री जन आवास योजना की राशि जमा कराने हेतु निर्धारित बैंक **ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, अस्पताल के सामने निम्बाहेड़ा** है। दूरभाष नम्बर **01477-220300**।

20. आवेदक आवंटित आवास की लागत राशि का भुगतान निम्न प्रकार से करना होगा :-

क्र. स.	**विवरण**	**आर्थि दृष्टि से कमजोर आयवर्ग हेतु राशि रूपयें**	**अल्प आय वर्ग हेतु राशि (रूपयें)**
1.	फ्लैट कुल लागत (पंजीयन शुल्क, मानचित्र शुल्क, सोसायटी राशि एवं एक वर्ष की अग्रिम जमा बन्दी राशि अतिरिक्त देय होगी)	390000	600000
2.	प्रथम किश्त आवंटन पत्र के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी।	7000/-	14000/-
3.	द्वितीय किश्त आवंटन पत्र के जारी होने के दिनांक से 60 दिवस में जमा करानी होगी।	7000/-	14000/-

क्र. स.	विवरण	आर्थि दृष्टि से कमजोर आयवर्ग हेतु राशि रूपयें	अल्प आय वर्ग हेतु राशि (रूपयें)
4.	तृतीय किश्त आवंटन पत्र के जारी होने के दिनांक से 90 दिवस में जमा करानी होगी।	7000/-	14000/-
5.	बैंक से ऋण प्राप्त कर अथवा स्वयं के स्त्रोत से जमा कराने योग्य राशि (आवंटन पत्र के जारी होने के तीन माह में)	292200/-	450000/-
6.	आवंटन पत्र के जारी होने के चौथे माह से 24 किश्ते लगातार जमा करानी होगी (प्रत्येक माह की 15 तारीख को)	3200 प्रति किश्त (24X3200=76800)	4500 प्रति किश्त (24X4500=10800)
	योग	390000	600000

नोटः–उपरोक्तानुसार फ्लैट सम्पूर्ण लागत राशि निर्धारित अवधि में जमा होने पर एवं परियोजना के पूर्ण होने पर (विकास कार्य सहित) ही फ्लैट के पंजीयन एवं कब्जा दिया जाने की कार्यवाही की जावेगी।

21. सभी आवंटियो को उपरोक्त तालिका में दर्शाये अनुसार वांछित राशि निर्धारित अवधि में जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा राशि जमा नही कराने की स्थिति में आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा एवं निरस्त आवास प्रतिक्षारत आवेदक को आवंटित कर दिया जायेगा तथा दोषी आवंटी की प्रथम किश्त की जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

22. प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

23. आवेदकों को यदि समूह में (Bluk Booking) आवासो की मांग हो तो आवासो की उपलब्धि के अनुसार समूह में आवंटन किया जा सकेगा।

24. आवासीय इकाई से सम्बन्धित सामान्य क्षैत्रो के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना, अहाते की दीवार, बगीचे, खुला स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख–रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था के गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासो का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमो का पालन किया जावेगा। रख–रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा। इस बाबत् आवंटन के समय आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए राशि रूपयें 2000/– अल्प आय वर्ग के लिए 3000/– आवंटी द्वारा जमा करानी होगी, जो कि सोसायटी के बैंक खाते में स्थानान्तरित की जायेगी। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख–रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जायेगी।

25. इस योजना में प्राप्त आवेदनों की आय वर्गानुसार एवं श्रेणीवार उपलब्ध आवासों की संख्या के अनुसार लॉटरी द्वारा (पंजीकरण योजना की अन्तिम तिथि के पश्चात लगभग दो माह में) वरीयता निर्धारित की जायेगी।

26. आवासो की उपलब्ध संख्या के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवेदकों की प्रतिक्षारत् सूची तैयार की जावेगी।

27. आवेदक को आवंटित मकान का कब्जा लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में आवंटित आवास में निवास करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटित मकान निरस्त कर दिया जायेगा तथा अधिशेष आवास प्रतिक्षारत् आवेदक को आवंटित कर दिया जायेगा।

28. आवास केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नही करा सकेगा एवं ना ही कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होंगे।

29. आवंटित आवास का विक्रय आवंटन से दस वर्ष के पूर्व नही किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरण आवंटन कमेटी के समक्ष आने पर मकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा अधिशेष आवास प्रतिक्षारत् आवेदक को आवंटित कर दिया जायेगा।

30. राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागो द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास, सम्पत्ति कर, नगरपालिका कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।

31. आवेदक द्वारा शपथ–पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना दिये जाने पर या कोई तथ्य छिपाने पर आवेदक का पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। यदि आवास का आवंटन हो चुका हो तो सरकार ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापिस लेने के लिए सदैव सक्षम होगी।

32. वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा। कब्जा दिये जाने के पश्चात् समस्त जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

    32.1 विद्युत फिटिंग/फिक्सचर

    32.2 सेनेटरी फिटिंग/फिक्सचर

33. यदि आवेदक आवास आवंटन के पश्चात् जमा राशि लौटाने के लिए आवेदन करता है तो प्रथम किश्त की जमा राशि 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।

34. यदि आवेदक का पंजीकरण उसकी ओर से किसी कमी के कारण नहीं हुआ है तो जमा पंजीकरण राशि वापस नही लोटायी जावेगी।

35. आवेदक की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना, आवेदन की कुल वार्षिक आय में पति–पत्नि तथा आश्रितों की कुल आय को सम्मिलित करते हुए की जायेगी। निर्धारित आय वर्ग से अधिक आय अथवा कम आय होने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

36. नियमानुसार देय शहरी जमाबंदी वर्तमान आरक्षित दर की 1.25 (सवा प्रतिशत) प्रथम पॉच वर्ष के लिए एवं इसके बाद 2.5 (ढाई प्रतिशत) प्रतिवर्ष देय होगी। प्रथम वर्ष की शहरी जमाबंदी राशि अग्रिम जमा करानी होगी। यदि आवंटी 2.5 (ढाई प्रतिशत) की दर से आठ साल की एकमुश्त रकम जमा कराता है तो भविष्य में शहरी जमांबदी राशि जमा करने से छूट रहेगी।

37. आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के आवेदकों को आवास पर बैंक या वित्तिय संस्था से ऋण लिये जाने पर भारत सरकार के नियमानुसार अनुदान राशि देय होगी।

38. आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/ फोटो पहचान पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स अथवा अन्य कोई फोटो युक्त दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।

39. आवंटित आवास के कब्जा प्राप्त करने के समय रजिस्ट्री के लिए निम्नानुसार मुद्रांक शुल्क देय होगा।

39.1	अर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग फ्लैट के लिए	50 रूपयें प्रति फ्लैट
39.2	अल्प आयवर्ग फ्लैट के लिए	100 रूपयें प्रति फ्लैट

40. शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को एवं वरिष्ठ नागरिक, आवेदक को भूतल एवं नीचे तल पर आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।

41. राज्य स्तरीय स्वीकृत एवं नियंत्रण कमेटी (State Level Sanctioning and Monitoring Commitee) द्वारा सयम–समय पर लिये गये निर्णय मान्य होंगे।

42. किसी भी कारण से अधिशेष/निरस्त आवास प्रतिक्षारत आवेदकों को आवंटित किये जायेंगे

43. विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्रनिम्बाहेड़ा होगा।

44. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रपत्र

44.1 आय प्रमाण–पत्र, S.D.O./ तहसीलदार/ नगर निगम/ नगर परिषद/ नगरपालिका के सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित देना होगा।

44.2 आवेदक को स्वयं, पत्नि का, उनके आश्रित का राजस्थान के किसी शहर में आवास या भूखण्ड नही होने बाबत् शपथ–पत्र देना अनिवार्य होगा।

44.3 आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होने का बोनफाईड प्रमाण–पत्र।

44.4 पहचान–पत्र की सत्यापित प्रति।

44.5 देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट।

44.6 अन्य प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र जो भी लागू हो।

45. भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत देय लाभ होंगे।

शपथ-पत्र

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री .... जाति .... हाल निवास .... तहसील .... जिला .... में निवास करता/करती हूँ। राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए अधिकृत संस्था शहरी पेयजल, सीवरेज एंव आधारभूत संरचना निगम एवं नगर पालिका निम्बाहेड़ा द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जारी किये गये विज्ञापन को भलीभांति जानकर, पढ़कर मेरे द्वारा आवेदन पत्र .. .. आय वर्ग आवास जी+3/बहुमंजिला आवास हेतु भेजा जा रहा है।

मैं शपथ–पत्र के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि–

1. पारदर्शिता आधार पर नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा निकाली गई लॉटरी में योजना के किसी भी तल पर जो आवास मुझे आवंटित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा।
2. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका मे दी गई समस्त शर्तो का पालन किया जायेगा।
3. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में आवास आवंटित होने पर विभिन्न चरणों में देय राशि उचित समय पर मेरे द्वारा अदा की जावेगी।
4. मेरे/हमारे द्वारा आवास आवंटन के मद में जमा करवाई गई राशि का उपयोग सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा नगरपालिका निम्बाहेड़ा बैंक एवं विकासकर्ता के मध्य हुए ''एस्क्रो समझोता पत्र की शर्तो के अधीन किया जा सकेगा'' इसके लिए बैंक द्वारा मेरे/हमारे से पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नही होगी।
5. मेरे/हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरूद्ध मेरे/हमारे आवास का प्रोविजनल आवंटन/आरक्षण/मूल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, तो उससे हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
6. मैं/हम यह स्वीकार करते है कि मेरे/हमारे बैंक ऋण की किश्त हमारे द्वारा कुल अर्जित वार्षिक आय की 30 से 40 प्रतिशत राशि से अधिक नही होगी एवं मेरे/हमारे द्वारा समस्त राशि की समय पर व्यवस्था कर ली जावेगी।
7. मैं/हम स्वीकार करते है कि चूंकि प्रस्तावित आवासीय योजना चयनित भूमि पर, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत सस्ती दरो पर आवास आवंटित किये जाते है, जिसके लिए नगरपालिका निम्बाहेड़ा बैंक एवं विकासकर्ता के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षरित होना है, चूंकि इस समझौता पत्र के तहत विकासकर्ता को दी जाने वाली आवास निर्माण की लागत समझौता शर्तो के अनुसार निश्चित समयावधि में दी जाती है, जो कि मेरे/हमारे सम्बन्धित बैंक शाखा खाता से ली जाकर नगरपालिका निम्बाहेड़ा/स्थानीय निकाय के माध्यम से विकासकर्ता को अदा की जावेगी। इस पूर्ण प्रक्रिया में मेरे/हमारे बैंक खाता को सम्बन्धित बैंक द्वारा ''एस्क्रो एग्रीमेन्ट'' की शर्त के अधीन उपयोग में लाये जाने पर मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी और ना ही सम्बन्धित बैंक से किसी प्रकार के अतिरिक्त क्लेम की मांग की जावेगी।
8. अगर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा मेरे/हमारे द्वारा लिखित हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित शपथ–पत्र को ''एस्क्रो एग्रीमेन्ट'' का भाग बनाया जाता है तो मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

(नोटराईज्ड सत्यापन) (आवेदक के हस्ताक्षर)

(शपथ–पत्र रूपयें के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

शपथ-पत्र

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री ....

सशपथ बयान करता/करती हूँ कि –

1. मेरे पास स्वयं या पति/पत्नि के नाम से राजस्थान के किसी भी शहरी क्षेत्रमें आवासन मण्डल, नगरपालिका, नगरविकास एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रैणी का नही है।
2. मुझ पर आश्रित किसी वयस्क अथवा अवयस्क पुत्र/पुत्री दत्तक पुत्र/पुत्री के नाम राजस्थान आवासन मण्डल, नगरपालिका, नगरविकास न्यास एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास किसी भी वर्ग एवं श्रैणी का नही है।
3. मुझे मेरे पति/पत्नि या मुझ पर आश्रित व्यस्क, अव्यस्क पुत्र/पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री का स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका निम्बाहेड़ा द्वारा आवासीय भूखण्ड लीज होज्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नही हुआ है।

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री ....

जाति .... निवास ....

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 से 3 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथग्रहिता

हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ–पत्र 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रैणी दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

गैर वेतनभोगी आवेदकों के लिए
आय प्रमाण–पत्र हेतु शपथ–पत्र

शपथ-पत्र

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री ....

निवासी .... (अनुसूचित जाति/जनजाति यदि है अंकित) को

सशपथ बयान करता/करती हूँ :–

1. कि हमारी वार्षिक आय वर्ष 2015–16 में समस्त स्त्रोतो से निम्न प्रकार है :–
   A. स्वयं की आय, व्यापार, उद्योग, दुकान व अन्य स्त्रोंतो से .... रूपयें
   B. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/पुत्री की व्यापार में भागीदारी उद्योग एजेन्सी, दुकान अथवा कृषि उद्योग व अन्य स्त्रोतो से वार्षिक आय .... रूपयें है।
   C. मेरे परिवार कर वर्ष 2015–16 में कुल आय .... रूपयें है। (1 A व 1 B का योग)

शपथग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

सत्यनिष्ठा

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री ....
जाति .... निवास ....
सत्यनिष्ठा से घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 में जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है वे मेरी निजी जानकारी में पूर्णतया सत्य है। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है।

शपथग्रहिता
हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा

(शपथ–पत्र 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटरी पब्लिक से सत्यापित कराकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। लॉटरी में सफल आवेदकों को निर्धारित अवधि में तहसीलदार से जारी आय प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

एस.डी.ओ./तहसीलदार
सत्यापित

वेतनभोगी आवेदकों के लिए

शपथ-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति .... पुत्र/पत्नि श्री .... इस विभाग में .... (पद का नाम) पद पर कार्यरत है एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम के नियमित कर्मचारी है, इनकी सकल वार्षिक आय वित्तिय वर्ष 2015–16 में .... रूपयें है।

एस.डी.ओ./तहसीलदार/विभाग/आहरण वितरण अधिकारी
द्वारा प्रमाणित

अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी .... जिला .... संभाग .... राज्य .... जाति .... के सदस्य है, जो कि अनुसूचित जाति/जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्थान की अनुसूचित जाति/जनजाति में शमिल हैं।

हस्ताक्षर तहसीलदार
(कार्यालय की मोहर सहित)

विकलांग प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... निवासी .... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गई तथा ये नियमानुसार शारीरिक रूप से स्थायी विकलांगता की श्रेणी में आते है।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के
हस्ताक्षर मय मोहर

दिनांक : **हस्ताक्षर शपथ–ग्रहीता**
स्थान :

शपथ-पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री .... आयु .... निवासी .... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. यह है कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित आवास हेतु एकमात्र मैं ही आवेदन कर रहा हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य ने उक्त आरक्षित कोटे से भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नही किया है।
2. यह कि मेरे पिता/पति/पत्नि सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चूकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन नही किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पति/पत्नि श्री/श्रीमति .... ने एवं हमारे परिवर के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित भूखण्डो में से कोई भूखण्ड आवंटित कराया हे।

शपथ–गृहिता

हस्ताक्षर
शपथ–ग्रहीता

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त श्री/श्रीमति/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि .... ने उपर्युक्त शपथ मेर सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक .... को ली हैं।

हस्ताक्षर मय सील
प्रथम श्रैणी दण्डनायक/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(शपथ–पत्र 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रैणी दण्डनायक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

(नोटः– जो लागू न हो उसे काट दें।)

**सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)
कोटे के अन्तर्गत आरक्षित आवास हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर सैनिक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र**

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री .... आयु .... निवासी .... शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. यह कि में सैनिक कोटे हेतु आरक्षित आवासो की पात्रता रखता/रखती हूँ।

2. यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित आवास आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्राथर्ना–पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

3. यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित आवास हेतु मेरे परिवार के सदस्यो के रूप में मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री/श्रीमति/कुमारी .... द्वारा आवास आवंटन हेतु आवेदन फार्म/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हे। उसे ही मेरी और से प्रस्तुत आवेदन फार्म/प्रार्थना पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।

4. यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे में आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई आवास आवंटित नहीं किया गया है।

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि श्री .... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त श्री/श्रीमति/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि .... ने उपर्युक्त शपथ मेर सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक .... को ली हैं।

**हस्ताक्षर मय सील
प्रथम श्रेणी दण्डनायक/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक**

(शपथ–पत्र 10 रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक द्वारा नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।)

(नोटः– जो लागू न हो उसे काट दें।)

प्रमाण-पत्र

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि ....
(रेंक) .... नाम ....
नम्बर ....

A. यह कि ये भारतीय थल/जल/वायु/सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत थे। अनकी वार्षि आय वित्तीय वर्ष 2015–16 में रूपयें .... है।
B. ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से सेवानिवृत्त हुए है तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी वार्षिक आय रूपयें .... है।
C. इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमति/सुश्री .... है। इनके पति की मृत्यु के समय मासिक आय रूपयें .... प्रतिमाह थी। इन्होने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

कमांडिंग ऑफिसर/सक्षम
अधिकारी/सचिव सैनिक बोर्ड के
हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान :
दिनांक :
(नोटः– जो लागू न हो उसे काट दें।)

नगरपालिका निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

आवेदन क्रमांक ....

नवीतम रंगीन सत्यापित फोटो

मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015

आवेदन पत्र

शहर का नाम (जहाँ आवास चाहता है)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम (अंग्रेजी में)
   आवेदक/आवेदिका का नाम (हिन्दी में)
2. पिता–पति का नाम ....
3. जन्म तिथि .... 4. राष्ट्रीयता ....
5. पत्र वयवहार का पता ....
   .... पिनकोड नं. ....
   स्थायी पता ....
   .... पिनकोड नं. ....
   दूरभाष नं. .... मोबाईल नं. ....
6. आधारकार्ड संख्या/भामाशाह कार्ड/यूनिक पहचान–पत्र संख्या
   ....
7. अपना वर्ग अंकित (√) करे –
   अल्पसंख्यक ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ वरिष्ठ नागरिक ☐
8. व्यवसाय का स्वरूप ....
9. आवेदक/आवेदिका की कुल वार्षिक आय (वित्तिय वर्ष 2015–16)
   1. स्वंय की ....
   2. पति–पत्नि की ....
   3. आश्रित की ....
   4. अन्य स्त्रोतों की ....
      कुल आय ....
10. पंजीकरण हेतु अपना वर्ग (√) अंकित करें।

सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	भू.सै.	पत्रकार	विकलांग	राज्य कर्मचारी

11. पंजीकरण हेतु मकान की श्रैणी (√) अंकित करे EWS ☐ LIG ☐

नगरपालिका निम्बाहेड़ा

आवेदन क्रमांक ....

आवेदन की प्राप्ति रसीद

श्री .... मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 शहर निम्बाहेड़ा हेतु .... आय वर्ग .... के अन्तर्गत उपर वर्णित क्रमांक का आवेदन–पत्र प्राप्त किया।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न

a) बैंक ड्राफ्ट .... दिनांक ....
   बैंक का नाम .... शाखा ....

नोटः– उपरोक्त समस्त पूर्तिया आवेदक स्वयं भरे) बैंक की सील मय हस्ताक्षर हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

12. राशि जमा कराई गई बैंक का नाम ....
शहर .... ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक ....
बैंक का नाम .... स्थान ....

13. आवेदक के बचत खाता संख्या .... बैंक का नाम ....
शहर का नाम .... बैंक का आई.एफ.एस.सी कोड ....
(जमा राशि लौटाने के प्रयोजन हेतु सूचना आवश्यक है।)

14. सत्यनिष्ठा कथन (घोषणा)

क. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छुपाया नही गया है।

ख. मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैने इस आवेदन प्रपत्र के साथ किये गये आवंटन के अनुबंधो एवं शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया तथा समझा लिया हैं और मैं उनका पालन कयेि जाने के लिए सहमत हूँ।

ग. मेरा या मेरे आश्रितो का शहर क्षेत्रजिसमें आवंटन के लिए आवेदन कर रहा है/रही हूँ में पूर्णतया अथवा भाग रूप में फ्री होल्ड या पट्टे के आधार पर प्लॉट या आवास नही है।

घ. मेरी मृत्यु हाने की दशा में, मैं निम्नलिखित व्यक्तियो को उत्तराधिकारी के नाम क्रम में निर्देशित करता/करती हूँ :–

क्र.स.	**नाम**	**आयु**	**सम्बंध**
प्रथम	....	....	....
द्वितीय	....	....	....

15. आवेदन–पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना सुनिश्चित करें:–

क. प्रशासनिक शुल्क का बैंक ड्राफ्ट।

ख. आय प्रमाण–पत्र

ग. आवेदक का पहचान सम्बन्धी (राशनकार्ड/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड/भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड एवं अन्य फोटोयुक्त पहचान–पत्र)

घ. जाति प्रमाण–पत्र

ड. मूल निवास प्रमाण–पत्र

च. अन्य प्रमाण–पत्र जो आपकी वर्ग (श्रैणी) के लिए आवश्यक हों।

दिनांक
सत्यापित
(नोटरी पब्लिक/राजपत्रित अधिकारी)
मुहर के साथ

हस्ताक्षर आवेदक
नाम ....
पूर्ण पता ....
....